पत्रांक–12 / प्रशि–01 / 2016.........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य के सरकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में बी०एड० कोर्स के नामांकन हेतु संकल्प संख्या–11 / व 2–01 / 2002–1068 दिनांक–04.07.2008, संशोधित संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012–408 दिनांक–04.10.12, संशोधित संकल्प संख्या–20 / वि०1–14 / 12–407 दिनांक–24.07.2013, संशोधित संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012 –68 दिनांक–21.04.2014 एवं 12 / प्रशिक्षण–89 / 2007–416 दिनांक–26.06.2015 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक–28.11.2014 तथा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2016 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के आलोक में उपरोक्त संकल्प में निम्नवत् रूप से परिवर्त्तन किया जाता है–

1. संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012 –68 दिनांक–21.04.2014 की कंडिका 5 को निम्नवत प्रख्यापित किया जाता है–

   "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा स्वीकृत कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्व नामांकन हेतु आवेदन, बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण तथा 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्व नामांकन हेतु आवेदन कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों / नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक से आमंत्रित किया जायेगा।"

2. संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012 –68 दिनांक–21.04.2014 की कंडिका 6 को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है–

   "चयन का आधार–ऊपर कंडिका 1 में वर्णित दोनों श्रेणियों के सीटों के विरूद्व नामांकन हेतु चयन का आधार अपनी श्रेणी के बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा। नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा। मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में कोटिवार किया जायेगा। समान श्रेणी के नामांकन में बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पांत्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण एवं शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।"

3. संकल्प संख्या–20/प्र०07–44/2012 –68 दिनांक–21.04.2014 की, कंडिका 7 को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है–

"दोनों श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों में से किसी भी श्रेणी में सीट रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त रह गये सीटों के विरूद्ध दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा सकेगा।"

4. संकल्प संख्या–11/व2–01/2002–1068 दिनांक–04.07.2008 में एक अलग कंडिका 15 निम्नवत जोड़ा जाता है–

"बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2016 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के आलोक में अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पूर्व से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी इस संशोधित नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि (दिनांक–27.04.2016) से तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 05 वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन आदि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड देना होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।"

5. इस परिपेक्ष्य में संकल्प संख्या–11/व2–01/2002–1068 दिनांक–04.07.2008 संशोधित संकल्प संख्या–20/प्र०07–44/2012–408 दिनांक–04.10.12 संशोधित संकल्प संख्या–20/वि०1–14/12 –407 दिनांक–24.07.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या–20/प्र०07–44/2012 –68 दिनांक–21.04.2014 एवं 12/प्रशिक्षण–89/2007–416 दिनांक–26.06.2015 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के संगत कंडिकाओं को संशोधित समझा जाय। शेष सभी शर्त्तें यथावत रहेंगी।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 12/प्रशि–01/2016 .... पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियॉं प्रकाशित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12 / प्रशि–01 / 2016 .... पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना / निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12 / प्रशि–01 / 2016 .... पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– कुलसचिव, भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज्फ्फरपुर / पटना विश्वविद्यालय, पटना / ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा / बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय,मधेपुरा / भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर / मगध विश्वविद्यालय, गया / मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना / आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा एवं वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12 / प्रशि–01 / 2016 ...232... पटना, दिनांक...15/6/2016

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

पत्रांक– 12 / प्रशिक्षण–89 / 2007..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय– राज्य के सरकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में बी०एड० कोर्स में नामांकन हेतु संकल्प संख्या–11 / व 2–01 / 2002–1068 दिनांक–04.07.2008, संशोधित संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012–408 दिनांक–04.10.12 , संशोधित संकल्प संख्या–20 / वि०1–14 / 12–407 दिनांक–24.07.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या–20 / प्र०07–44 / 2012–68 दिनांक–21.04.14 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक–28.11.2014 के आलोक में शिक्षा में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड एवं मानक के अनुसार अब बी०एड० कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यार्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

उपरोक्त परिवर्त्तन के आलोक में सरकार के संकल्प संख्या–408 दिनांक–04.10.12 की कंडिका–8 को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है–

1. नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष 12,000 / – (बारह हजार) रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति / जन जाति / निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रति वर्ष 4500 / – (चार हजार पाँच सौ) रूपये होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक भोजन एवं आवास–शुल्क को छोड़कर है। अब उपरोक्त राशि प्रत्येक वर्ष ली जायेगी, अर्थात् बी०एड० कोर्स हेतु दो बार ली जायेगी। इस प्रकार बी०एड० कोर्स हेतु कुल 24,000 / – (चौबीस हजार) रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति / जन जाति / निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि कुल 9000 / – (नौ हजार) रूपये होगी।
2. प्रत्येक वर्ष प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ली जानेवाली राशि का विवरण निम्नवत् है:–

क्र०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति / जन जाति / निशक्तः
1	नामांकन– शुल्क	1,200 / –	300 / –
2	भवन रख–रखाव	5,000 / –	1,500 / –
3	पुस्तकालय	1,000 / –	500 / –
4	खेल–कूद व्यवस्था	300 / –	200 / –
5	परिचय–पत्र एवं पुस्तकालय कार्य	200 / –	200 / –
6	प्रयोगशाला	1,500 / –	500 / –
7	शैक्षिक भ्रमण	300 / –	200 / –
8	कौशन मनी	500 / –	400 / –
9	बिजली / पेय–जल	500 / –	300 / –
10	शिक्षण–अधिगम सामग्री	500 / –	200 / –
11	शिक्षण अभ्यास एवं आतंरिक मूल्यांकन	1,000 / –	200 / –
	कुल	12,000 / –	4,500 / –

नोट– कौशन मनी की राशि (दोनों वर्ष के लिए) एक साथ प्रवेश के समय ही ले ली जायेगी, जो परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरान्त अभ्यर्थी को चेक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी, वशर्ते कि महाविद्यालय का कोई बकाया छात्र के पास लम्बित न हो।